संख्या-22/2023/1131/001-23-7-2023-75-सा0-2023

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता, बजट-क वर्ग,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ:दिनांक 15 सितम्बर 2023

विषयः- रिट याचिका-ए संख्या- 3858/2002 उ0प्र0 राज्य व अन्य बनाम श्री एस0डी0 सिंह व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.05.2023 के अनुपालन में डिक्रीटल मद से धनराशि आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्रांक-4867बी0जी0/209बी0(34)/2023-24 दिनांक 08.08.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपर्युक्त पत्र दवारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/आख्या पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, रिट याचिका-ए संख्या- 3858/2002 उ0प्र0 राज्य व अन्य बनाम श्री एस0डी0 सिंह व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.05.2023 के अनुपालन में धनराशि रूपये 73448.00 (तिहत्तर हजार चार सौ अडतालीस रूपये मात्र) का आवंटन डिक्रीटल मद से किये जाने की एतद्द्धारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1)- सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अम्बेडकरनगर द्वारा अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि किसी अन्य योजना/मद से धनराशि का भुगतान पूर्व में याची को नहीं हुआ है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 73448.00 (तिहत्तर हजार चार सौ अडतालीस रूपये मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 5054808000301 न्यायालयों की डिक्री की धनराशियों के भुगतान हेतु व्यवस्था मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य (भारित) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227 /दस-2023-231/2023, दिनांक-17 मार्च 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 22/2023/1131/001-23-7-2023-75-सा0-2023-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखार, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर।

3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0, लखनऊ।

5- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अम्बेडकरनगर।

6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1/2), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

7- मुख्य अभियन्ता, अयोध्या क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, अयोध्या।

8- अधीक्षण अभियन्ता, अयोध्या-अम्बेडकरनगर वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अयोध्या।

9- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अम्बेडकरनगर।

10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।

11- लोक निर्माण अनुभाग-10, उ0प्र0 शासन।

12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राजेन्द्र प्रसाद
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in